Report as per

Hon'ble National Green Tribunal

(Order dated 31 January 2023)

IN THE MATTER OF

Anil & Anr. Vs State of Rajasthan & Ors.

In Original Application No. 101/2022

Date of visit – 24 February 2023

Location – Sajjangarh, Banswara

Visit Report in compliance of Hon'ble NGT Directionin O.A.101/2022 dated 31.01.2023

Direction of Hon'ble NGT, in Original Application No. 101/2022 Anil &Anr. V/s State of Rajasthan & others in the order dated 31/01/2023 constitute a joint Committee comprising One Representative from Collector, Banswara, Rajasthan and One Representative from SPCB, Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within four weeks.

Joint Committee visited the site mentioned in the writ on dated 24/02/2023. The factual report along with earlier correspondence in this regard, the observation during inspection, the action taken after the visit and the future course of action are as follows-

1. The Present original application is filed against unauthorized and illegal encroachment over the Nallah land at Khata No. 01, Khasra No. 2703 in Tanda mangla, Tehsil Sajjangarh, District Banswara. Encroachment is allegedly done by the Ambalal S/o Dalichand ,Jagdhish S/o Dalichand and Ramlal S/o Kaliya where they are allegedly constructing shops.
2. It is relevant to mentioned here that vide order dated 21.03.2002 issued by Gram Panchayat Tanda Mangla, out of Total 11 Bigha 10 Biswa of Khasra No. 1097. a chunk of land admeasuring 03 Bigha 10 Biswa was allotted for extension of Aabadi area, however the said order came to be cancelled by the then District Collector, banswara vide order dated 02.07.2003 as the land was categorized as "Nallah" in the revenue record. (Copy enclosed: Annexure- I)
3. As per meeting dated 05.06.2014 at Panchayat Samiti Sajjangarh in presence of Sarpanch, Ward Panch of Gram Panchayat Sajjangarh, village Tanda Ratna & Village Tanda Mangala decision regarding Strengthening of Nallah was made.(Copy enclosed: Annexure- II)
   a. It was also noted that after strengthening work neither any kind of construction work by any gram panchayat (Shop, residential or government structure) nor encroachment shall be done in Nallah area.
   b. Lease shall not be granted by any gram panchayat from the Nallah area.
   c. Height of Nallah walls shall not be more than 6-7 feet.
   d. In future use of Nallah shall be with the consent of all three Gram Panchyatsand administration.

क्षेत्रीय अधिकारी
... बांसवाड़ा

4. A letter was issued by SDO, Sajjangarh to Tehsildar, Sajjangarh, Block Development Officer, Sajjangarh and Assistant Engineer, PWD, Sajjangarh vide letter no. 495 dated 28.09.2022 to check alleged encroachment of Nallah at Khasra No. 2703, village Tanda Mangala, Sajjangarh. (Copy enclosed: Annexure- III)
5. Assistant Engineer, Public Work Department, Sajjangarh vide letter no. 12 dated 17.10.2022 to SDO, Sajjangarh acknowledged the encroachment on the bridge on Nallah recommending the removal of encroachment. (Copy enclosed: Annexure- IV)
6. Assistant Engineer, Public Work Department, Sajjangarh vide letter no. 11, dated 17.10.2022 to Tehsildar, Sajjangarh acknowledged the encroachment demanding resources for removal of encroachment. (Copy enclosed: Annexure -V)
7. An application to District Collector was filed by villagers of village tandamangla on dated 20.11.2022 regarding removal of illegal encroachment from the Nallah land near bus stand Sajjangarh. (Copy enclosed: Annexure - VI)

Observations during visit -

1. Joint Committee was formed by District Collector, Banswara vide order no. 944-46 dated 21.02.2023 to conduct visit and file the report to the Hon'ble NGT. Hence joint committee comprising Regional Officer, RSPCB, RO, Banswara and SDO, Sajjangarh visited the site mentioned in the writ on dated 24/02/2023.
2. During visit it was observed that residential house construction is being carried out near bridge adjacent to Nallah.
3. On one side of bridge, Masonary stones were dumped causing obstructionof openings ofwater flow under the bridge.

Action Taken

1. SDO. Sajjangarh directed to remove the dumped material near bridge on the Nallah immediately so obstruction of water flow may be cleared. (Newspaper cutting of Rajasthan patrika dated 26.02.2022 enclosed: Annexure-VII).
2. An order has been issued by SDO, Sajjangarh vide letter no. 254 dated 27.02.2023 in compliance of NGT order in OA 101/2022 dated 31.01.2023by a joint committee consisting of Tehsildar Sajjangarh, BDO, Panchayat Samiti

क्षेत्रीय अधिकारी
...मंडल, बाँसवाड़ा

Sajjangarh, Assistant Engineer Public Work department, Sajjangarh and Assistant Engineer Water Resource Department, Sajjangarh. Joint committee shall conduct a survey of Khata No. 01 Khasra No. 2703 regarding encroachment on the Nallah and submit a report on it including all such encroachment on the aforesaid Nallah. (Copy enclosed: Annexure -VIII)

3. A letter has been issued by SDO, Sajjangarh to Block Development Officer (BDO), Sajjangarh vide letter no. 253 dated 24.02.2023 for stay of all construction activities on survey no. 2703, village tandamangla, Sajjangarh with directions not to issue any consent forconstruction activities on abovementioned disputed land.(Copy enclosed: Annexure - IX)

Meanwhile the construction activities have been stopped on the disputed land and dumped material obstructing the water flow have been removed.

(Archana Choudhary) Sub Divisional Officer, Sajjangarh	(Sharad Saksena) Regional Officer RSPCB, Banswara क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म., बाँसवाड़ा

Annexure – I

Raj 227

(269)

कार्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :– एफ 7 (2) राज/97/ 2079–85 दिनांक :– 02.07.03

:: आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ 2 (4) राज/02/1584–89 दिनांक 21.03.2002 द्वारा ग्राम पंचायत टाण्डामंगला को आबादी विस्तार हेतु ग्राम टाण्डामंगला की आराजी सर्वे नम्बर 1097 रकबा 11 बीघा, 10 बिस्वा भूमि किस्म नाला में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटन की गई थी । क्योंकि आवंटित की गई भूमि की किस्म नाला दर्ज रेकार्ड हैं तथा मौके पर भी उक्त आवंटित भूमि नाला होकर उसमें पानी का बहाव होता रहता हैं ।

अतः पूर्व में आबादी विस्तार हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ 2 (4) राज/02/1584–89 दिनांक 21.03.2002 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता हैं । उक्त भूमि पूर्ववत बिलानाम श्री सरकार किस्म नाला के रूप में ही रहेंगी ।

जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

प्रतिलिपि :–

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा अनुभाग को उनके पत्रांक एफ 40 ( ) जिराले/02/2507 दिनांक 05.12.2002 के क्रम में लेख है कि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें ।
2. उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ ।
3. तहसीलदार, तहसील कुशलगढ को भेजकर के लेख है कि आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में दाखिल खारीज कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में पेश करें ।
4. उप तहसीलदार, सज्जनगढ ।
5. पटवारी, पटवार मण्डल, टाण्डामंगला ।
6. सरपंच ग्राम पंचायत, टाण्डामंगला ।
7. रक्षित पत्रावली ।

सत्य प्रतिलिपि
14/10/22
प्रभारी अधिकारी
कलक्टर (रेकर्ड)
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बांसवाड़ा

FOR COPYING FEES ONLY

Annexure - II

आज दिनांक 2/6/14 को पंचायत समिति सेलम्बा(?) सभागार पर तीनों ग्राम पंचायत, सुलतानपुर(?), टाण्डा, टाण्डारत्ना के सरपंचों, पंचों एवं सम्माननीय ... की उपस्थिति में मीटिंग आयोजित की गई। जिसमें श्रीमान तहसीलदार एवं विकास अधिकारी महोदय उपस्थित हैं। ~~मीटिंग की ... सड़क ...~~ मेगा हाईवे(?) अन्तर्गत बनाये जा रहे नाला सुदृढ़ीकरण एवं निकास व्यवस्था के बारे में ~~चर्चा~~ चर्चा की गई। उपरांत निम्न बिन्दुओं पर सर्व सम्मति बनी।

(i) नाला सुदृढ़ीकरण कार्य उपरांत कोई भी ग्राम पंचायत किसी भी तरह का निर्माण कार्य (यथा दुकान, मकान, सरकारी इत्यादि) नाला क्षेत्र में नहीं करेगा। नाही भी तरह का अतिक्रमण किया जायेगा।

(ii) ~~नाला क्षेत्र में किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा कोई~~ पट्टा जारी नहीं किया जायेगा।

(iii) नाला की दीवार की ऊँचाई 6 फीट से अधिक नहीं की जायेगी।

(iv) नाले के दोनों ओर सीमा पर पक्की दिवार का निर्माण कराया जायेगा ताकि भविष्य में अतिक्रमण नहीं होवे।

(v) भविष्य में इस जमीन का उपयोग / Planning तीनों ग्राम पंचायतों एवं प्रशासन की सहमति से ही हो

तहसीलदार सेलम्बा(?)

2/6/14 BDO

सरपंच ग्राम पंचायत ...

सरपंच ग्राम पंचायत टाण्डा ...

P.S. Sajjan

क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. बाँसवाड़ा

Annexure - III

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक (ए) न्याय / 2022 / 495

दिनांक 28/09/2022

1 तहसीलदार सज्जनगढ।
2 विकास अधिकारी पचायत समिति
सज्जनगढ।
3 सहायक अभियता सार्वजनिक निर्माण विभाग
सज्जनगढ।

विषय :– प्रार्थना पत्र की जांच करने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समस्त ग्रामवासीयान टाण्डा मंगला ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम टाण्डा मंगला के खसरा न 2703 रकबा 0 2300 है तथा दो से तीन ओर खसरा न. है जो श्री सरकार नाला दर्ज है। राजस्व नाले की जमीन में श्री हितेश पिता आम्बालाल जाति कलाल निवासी सज्जनगढ जबरन दादागीरी से मकान निर्माण कार्य कर रहा है। जिसकी तत्काल मोके की जाच करवाकर निर्माण कार्य रुकवाने का आदेश फरमावे।

अतः ग्रामवासीयान का प्राप्त मूल प्रार्थना पत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। प्रार्थना पत्र की जांच कर नियमानुसार कार्यवाहीं करते हुए पालना रिपोर्ट तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :– प्रार्थना पत्र।

(गोरधनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बांसवाड़ा

Annexure - IV

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा)

प्र.क्र. :- SPL/12

दिनांक: 13/10/22

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड - सज्जनगढ़

विषय: प्रार्थना पत्र की जाँच करने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक एफ()/न्याय/2022/495 दिनांक 28.09.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री हितेश पिता अम्बालाल के मकान निर्माण कार्य की मौके पर जाँच करने पर पाया गया की मकान निर्माण कार्य भीलकुआ कुशलगढ़ रोड के समीप है जो की ODR की श्रेणी में आता है। इसी स्थान पर एक नाला है। जिस पर PWD का पुलिया बना हुआ है जिसकी वर्तमान मे कुल लम्बाई 22m एवं चौड़ाई 7m है अभी तक इसमे 5 स्पान खुले हुये है। इस पुलिया पर अतिक्रमण भी है इस कारण इसकी लम्बाई और भी हो सकती है। अतिक्रमण हटाने PWD के अधिकार क्षेत्र से बाहर है इसलिये श्रीमान तहसीलदार को इस पुलिया पर अतिक्रमण हटाने के लिये पत्र लिखा गया है। जिसकी प्रतिलिपी इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः श्रीमान से निवेदन है की इस पुलिया पर से अतिक्रमण हटाया जाये एवं श्री हितेश पिता अम्बालाल को निर्देशीत करे कि वो भवन सड़क के केन्द्र से 15 m की दूरी छोड़कर बनाये।

संलग्न:- 1) श्रीमान तहसीलदार को लिखा गया पत्र क्र. SPL/11
2) आपके द्वारा भेजा गया पत्र क्र. एफ()/न्याय/2022/495 दिनांक 28.09.2022
3) रेखा चित्र पुलीया

(अजय कुमार मीना)
सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. सज्जनगढ़
सा.नि.वि. उपखण्ड प्रथम [illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बाँसवाड़ा

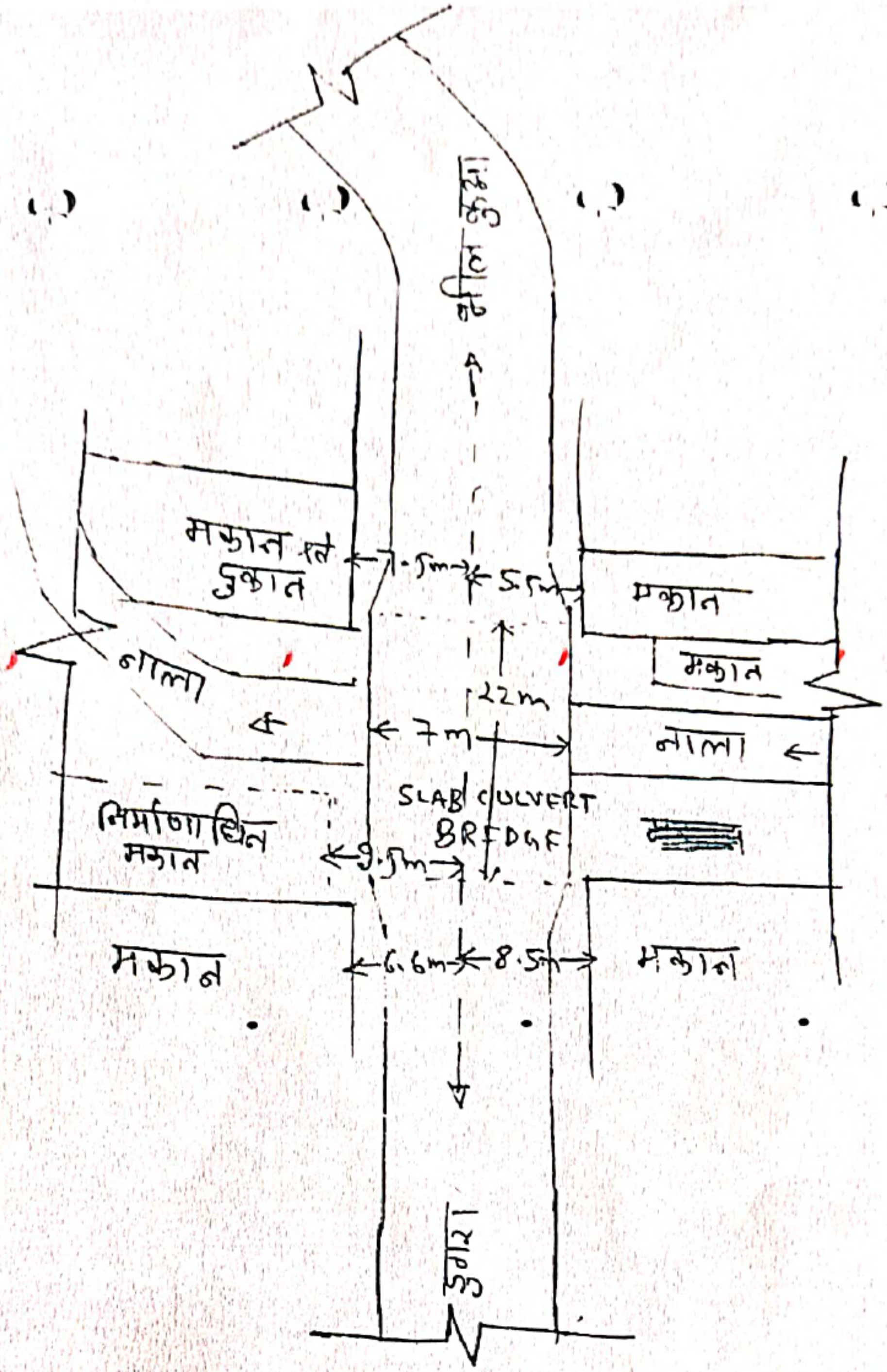

Rough sketch

(अजय कुमार मीना)

(अजय कुमार मीणा)
सहायक अभियन्ता

Name:- Sketch of SLAB CULVERT BRIDGE on DDR-1 (BHILKUA-KUSHALGARH ROAD) at chanage 2/7

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बाँसवाड़ा

Annexure - V

कार्यालय सहायक अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड, सज्जनगढ़

क्रमांक :- SPL/22 दिनांक :- 17/10/20

श्रीमान् तहसीलदार
तहसील सज्जनगढ़

विषय :- अतिक्रमण हटाने बाबत ।
प्रसंग :- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के पत्र क्रमांक एफ( )/न्याय/2022/495 दिनांक 28.07.2022 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भीलकुआ - कुशलगढ़ सड़क (ओ.डी.आर-1) पर सज्जनगढ़ कस्बे से गुजर रही सड़क चैनेज 2/700 पर नाले पर पुलिया बनी हुई है, जिस पर अतिक्रमण हो रखा है। अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक संसाधन आबादी क्षेत्र होने के कारण पंचायत द्वारा उपलब्ध कराये जाने है। यदि पंचायत द्वारा संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड सज्जनगढ़ के द्वारा उपलब्ध करा दिये जायेगें ।

संलग्न - राजस्व विभाग अधिसूचना

(अजय कुमार मीणा)
सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड सज्जनगढ़

प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
1) श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सज्जनगढ़ ।
2) श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड कुशलगढ़ ।

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म. बाँसवाड़ा

(अजय कुमार मीणा)

Annexure - VI

सेवामें,

श्रीमान् कलेक्टर साहब,

बांसवाड़ (राज.)

प्रार्थीगण ::– समस्त निवासीयान ग्राम टाण्डा मंगला , ग्राम पंचायत टाण्डा मंगला , तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

विषय ::– ग्राम पंचायत टाण्डा मंगला के राजस्व ग्राम टाण्डा मंगला तहसील सज्जनगढ़ , बस स्टैण्ड के पास नाले पर अतिक्रमण हटवाने के क्रम में ।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय में निवेदन इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत टाण्डा मंगला एवं ग्रामवासीयान टाण्डा मंगला का निवेदन इस प्रकार हैं कि ::–

1. यह कि सज्जनगढ़ इस स्टैण्ड पर स्थित मेन रोड से पश्चिम दिशा पर स्थित नाला ग्राम पं. टाण्डा मंगला की भूमि पर स्थित हैं जिसपर ग्राम पंचायत के कुछ लोगों द्वारा नाले पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण करवाया जा रहा हैं ।

2. यह कि बस स्टैण्ड पर स्थित नाला सटलमेन्ट पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में नाला दर्ज था जो वक्त सटलमेन्ट अधिकारी की मिलीभगत आबादी दर्ज करा दी गई हैं ।

3. यह कि वर्तमान में अम्बालाल पिता दलीचंद जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी सुरवानीया , जगदीश पिता दलीचंद एवं रामलाल पिता कालिया निवासी सज्जनगढ एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने नाम से उक्त नाले की भूमि पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया हैं वर्तमान में भी उक्त नामे की भूमि पर उपरोक्त वर्णित लोगों का अवैध कब्जा हैं।

4. यह कि उपरोक्त बिन्दु अनुसार ग्रामवासीयान का विरोध एवं प्रदर्शन करने पर दिनांक 02–10–2022 को घटना स्थल पर प्रशासनिक अधिकारी मोके आये ओर जिन्हे आता देख उक्त नाले की भूमि पर कार्य कर रहे मजदूर व अन्य कारीगर अपने सामान छोड मोके से भाग गये क्योंकि उक्त निर्माण कार्य अवैधरूप से नाले की भूमि पर हो रहा था जिसके लिए किसी प्रकार की निर्माण स्वीकृति नही ली गई थी तथा मोके पर आये प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई नियमानुसार कार्यवाही उक्त नाले की भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु नही की गई तथा उक्त अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों द्वारा यह कहा जा रहा हैं कि प्रशासन हमारे साथ हैं हमारी पहुच उपर तक हैं हमारा कोई कुछ नही बिगाड सकता हैं।

5. यह कि टाण्डा मंगला के ग्रामवासीयों को उक्त व्यक्तियों द्वारा धमकी दी हैं कि यदि तुम लोगों ने हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही की तो हम तुम्हे किसी झुठे मुकदमें फसा देंगे।

क्रमश पंज ::2::

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बाँसवाड़ा

6. यह कि उपरोक्त समस्त घटनाक्रम की रिपोर्ट श्रीमान् तहसीलदार साहब सज्जनगढ़, उपखण्ड अधिकारी महोदय सज्जनगढ़ एवं आप श्रीमान् कलक्टर साहब बांसवाड़ा को तथा पंचायत समिति टाण्डा मंगला को कई बार दी जा चुकी हैं लेकिन उक्त विवाद एवं अतिक्रमण हटाने हेतु आज दिन तक कोई कार्यवाही नही की गई हैं । यह हमारी ओर से आप श्रीमान् के समक्ष अंतिम प्रार्थना-पत्र पेश हैं यदि उक्त अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु कार्यवाही नही होती हैं तो हमें मजबुरन उक्त वाद को N.G.T. कोर्ट भोपाल (म.प्र.) में दायर किया जावेगा क्योंकि श्री सरकार जमीन किस्म नदी नाला पर अवैध निर्माण करना गैरकानुनी हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से उचित नही हैं यदि उक्त नाले पर निर्माण होता हैं ओर नाला बाधीत होता हैं तो बारीश के मोसम में कोई गंभीर घटना घटीत हो सकती हैं।

अतः आप श्रीमान् से नम्र निवेदन हैं कि उक्त विषय में नियमानुसार कार्यवाही करने के आदेश संबंधित अधिकारी को फरमाकर उक्त विवाद का निस्तारण करना फरमावें ।

दिनांक ::- 20/11/2022

विनित

Mo. 9772884418

समस्त निवासीयान

टाण्डा मंगला , तहसील सज्जनगढ

जिला बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि ::-

1. माननीय प्रधानमंत्री महोदय , भारत सरकार
2. माननीय मुख्यमंत्री महोदय , राजस्थान सरकार
3. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड , जयपुर (राज.)
4. श्रीमान् तहसीलदार साहब , सज्जनगढ
5. उपखण्ड अधिकारी महोदय , सज्जनगढ

क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.प्र.नि.म., बाँसवाड़ा

26 Feb 2023

Annexure - VII

...के बारे में चर्चा की गई। एडीपीसी सुशील जैन और कार्यक्रम अधिकारी ने विभिन्न जानकारियां दी। इस मौके पर संस्था से जिला प्रबंधक देवेंद्र सालवी, जिला कार्यक्रम अधिकारी वर्षा चौधरी, , ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी ... फील्ड कॉर्डिनेटर उपस्थित रहे।

सज्जनगढ़ : नाले से हटवाए पत्थर पानी निकासी होगी सुलभ

सज्जनगढ़. सज्जनगढ़ उपखंड मुख्यालय पर बरसाती नाले पर कतिपय अतिक्रमणकारियों द्वारा प्राकृतिक वेग अवरुद्ध किए जाने और पत्थर तथा अन्य सामग्री डालकर नाले को ढक दिए जाने जैसी मनमानी कार्रवाई पर प्रशासन ने कठोर कदम उठाया और नाले पर किए गए अतिक्रमण तथा अवरोध के लिए डाले गए पत्थर आदि सामग्री को हटा कर नाले को खुलवा दिया गया। ग्रामीणों की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर किए गए अनुरोध पर एसडीएम अर्चना चौधरी ने तत्काल एक्शन लिया।

उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी के निर्देश पर ग्राम टांडा मंगला प्राकृतिक नाले पर पत्थर डालकर पानी निकास द्वार बंद करने की शिकायत पर विभिन्न विभागों की टीम से संयुक्त कार्रवाई कर पत्थर उठवाए व नाली को खुलवाया। इस मौके पर नायब तहसीलदार हरीश सोनी, गिरदावर दशरथ डांगर, सुनील कलाल ,पटवारी एलिक दिनेश आदि उपस्थित रहे।

हाथ से हाथ जोड़ो : यात्रा का स्वागत

घाटोल. घाटोल ब्लॉक घाटोल के ग्राम पंचायत कुवानिया, अमरथून, नरोतो की गोज में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। जगह जगह ग्रामीणों स्वागत किया।

कुवनिया में नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता ब्लॉक ... जानकारी दी। यात्रा के अमरथून पहुंचने पर नाथू भाई रावत, दलजी भाई, रकमचंद, बिजली देवी आदि ने स्वागत किया। यहां भी सभा हुई। ग्राम पंचायत नरोतो की गोज में लाला भाई ने स्वागत किया। इस अवसर ...

परतापुर. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमजा में शनिवार को वार्षिकोत्सव , भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अध्यक्षता सरपंच गीतादेवी खराड़ी ने की। मुख्य अतिथि लक्ष्मणसिंह सोलंकी एवं विशिष्ट अतिथि एडवोकेट शिवलालपुरी, सुधीर चौबीसा, विमल चौबीसा,लालाभाई कटारा ,नीलेश कटारा , सुरेंद्रसिंह , पूजाजी बुनकर , रूपलाल यादव, हेमंत पटेल , सोमेश्वर,अयूब व भीखाभाई आदि थे। स्वागत कार्यवाहक प्रधानाचार्य अजय शाह ने किया। भामाशाह सम्मान भूरालाल यादव एवं राजेंद्र डामोर ने किया। अध्यापक दिलीप कमाल द्वारा मेधावी छात्र रोशन कटारा को आगामी उच्च अध्ययन के लिए 5 वर्ष तक प्रति वर्ष दो हजार रुपए देने की घोषणा की। संचालन दिलीप कमाल ने किया।आभार छगनलाल डामोर ने व्यक्त किया।

कुशलगढ.. पीईईओ काकनवानी के राप्रावि चकलीफला बांसडी में वार्षिकोत्सव एंव भामाशाह सम्मान समारोह विधायक रमिला खडिया के मुख्य आतिथ्य एवं पीईईओ रवि कुमार नायक की अध्यक्षता में हुआ। राउमावि कुशलगढ प्रधानाचार्य भीमजी सुरावत, वालसिंह गणवा भानु प्रताप मईडा, काकनवानी सरपंच मिठू देवी,रामगढ़ सरपंच राकेश मईडा थे। समारोह में बालक बालिकाओं ने प्रस्तुतियां दी। विधायक ने चारदीवारी व हैंडपंप लगाने की घोषणा की। समारोह विद्यालय के लिए जमीन समर्पण करने वाले नरसिंह भूरीया व मंच निर्माण में सहयोग देने वाले भामाशाहों को सम्मानित किया गया। संचालन वालसिंह चरपोटा ने किया व आभार प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र सिंगाड ने माना।

गढ़ी. राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल चिबड़ातलाई में शनिवार को वार्षिकोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह नयनेश भट्ट की अध्यक्षता एवं ...

राशन ... राशि ...

स्म...

परतापु... विद्याल... वार्षिको... स्मार्ट ... समारोह ... पीईईओ ... मणीलाल ... पाटीदार ... में अतिथि ... विद्यालय ... स्मार्ट क्ल... स्वागत ... संस्थाप्रधा... बताया वि... स्मार्ट क्ल... द्वारा 70 ह... की गई एवं ... विद्यालय के ... इस अ... रोत,कालुरा... स्थानीय स... वार्डपंच मुके... कमलेश गरा... एवं रामलाल ... संचालन सुरे... शाह ने किया ... ने व्यक्त ... बदामीलाल ... नगेन्द्रकुमार ... प्रभुलाल खांट ... सहयोग किया

15 प्र... सम्म...

तलवाड़ा. राज... विद्यालय बजवा... समारोह और ... आयोजन किया ...

चर्चा...

गामड़ी में चार ...

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बाँसवाड़ा

Annexure - VIII

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ जिला (बांसवाड़ा)

क्रमांक [illegible] राजस्व /NGT /2023/ 254   दिनांक 27/02/2023

कार्यालय–आदेश

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बांसवाडा के आदेश क्रमांक एफ.17 (1) [illegible] पर्यावरण/2020/944–46 दिनांक 21.02.2023 की पालना मे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षैत्रिय न्यायपीठ भोपाल मे दर्ज आवेदन संख्या 101/2022 [illegible] आदेश [illegible] कस्बा सज्जनगढ जिला बांसवाडा के खाता सं. 01 खसरा संख्या 2703 के नाला पर अतिक्रमण कर बाधित करने के संबध मे सर्वे हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है।

1. तहसीलदार सज्जनगढ।
2. विकास अधिकारी प.स. सज्जनगढ।
3. सहायक अभियता सिचाई विभाग सज्जनगढ।
4. सहायक अभियंता सा.वि. नि. वि. सज्जनगढ।

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि नाला स्थल सर्वे नं. 2703 का निरीक्षण/सर्वे कर रिपोर्ट इस कार्यालय को पेश करे।

(सुश्री [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ

प्रतिलिपि–

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बांसवाडा कि सेवामे प्रेषित है।
2. सम्बंधित श्री ....को पालनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बाँसवाड़ा

Annexure - IX

राजस्थान--सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ जिला बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक -एफ ( ) / राजस्व / 2023 / 253 दिनांक [illegible] 22.2.23

विकास अधिकारी
पंचायत समिति सज्जनगढ।

विषय :-- राजस्व ग्राम टाण्डा मंगला के सर्वे नम्बर 2703 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सज्जनगढ करा स्टेशन पर [illegible] के पास राजस्व ग्राम टाण्डामंगला, टाण्डारतना, सज्जनगढ की भूमि स्थित होकर [illegible] विवादित है, एवं ग्राम टाण्डामंगला के सर्वे नम्बर 2703 रकबा 0.23 है. किरण नाला की भूमि पर वर्तमान में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण / निर्माण कार्य नहीं किया जाने हेतु अपने अधिनस्त ग्राम विकास अधिकारी को आदेशित करे की उक्त विवादित भूमि पर [illegible] किसी प्रकार का अतिक्रमण / निर्माण स्वीकृतिया जारी नही करने हेतु आदेशित करे। [illegible] किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर पर लापरवाही कि जाने पर आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

(अर्चना [illegible] RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सज्जनगढ

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बाँसवाड़ा

Annexure - X

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाँसवाड़ा (राजस्थान)

पता : कलेक्ट्रेट बाँसवाड़ा (327001)
Ph. No. : (02962) 242968 & 240945 (Fax) 240002

E-mail ID :dm-bsn-rj@nic.in
bsw.center03@gmail.com (Collectorate)

क्रमांक :– एफ 17 (1) न्याय/पर्यावरण/2020/२५५-५६

दिनांकः–21–02–2023

– आदेश –

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ भोपाल में दर्ज आवेदन संख्या 101/2022 (CZ) में पारित आदेश के क्रम में कस्बा सज्जनगढ जिला बांसवाड़ा के खाता स. 01 खसरा सख्या 2703 के नाला पर अतिक्रमण कर बाधित करने के सम्बन्ध में ज़ारी आदेश की पालना में जांच हेतु निम्न संयुक्त समिति गठन किया जाता है :–

1. उखण्ड मजिस्ट्रेट, सज्जनगढ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा।

उक्त समिति को निर्देशित किया जाता है कि नाला स्थल का निरीक्षण कर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ भोपाल को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुऐ एक प्रति इस कार्यालय में भी प्रस्तुत करें। सुलभ संदर्भ हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ भोपाल के आदेश की प्रति संलग्न है। माननीय न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बांसवाड़ा की होगी। समिति आवश्कतानुसार तहसीलदार/विकास अधिकारी अथवा अन्य कार्मिकों का सहयोग ले सकेंगी।

संलग्न :– उक्तानुसार

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ, भोपाल
2. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सज्जनगढ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, दुर्गा पेट्रोल पम्प के पास, बांसवाड़ा।

जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बाँसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

NATIONAL GREEN TRIBUNAL / राष्ट्रीय हरित अधिकरण
CENTRAL ZONAL BENCH / मध्य क्षेत्रीय न्यायपीठ,
III FLOOR, STATE INFORMATION COMMISSION BUILDING / तृतीय तल, राज्य सूचना आयोग भवन,
ARERA HILLS, BHOPAL – 462011 / अरेरा हिल्स, भोपाल – 462011

D.No. /NGT-CZB/2023/08 Bhopal, Date : 02/02/2023

To,

1. **The District Collector,**
District- Banswara, Raj.

2. **The Member Secretary,**
RSPCB, Jaipur, Rajasthan

Sub: For compliance of order in Original Application No.101/2022(CZ) Anil & Anr. Vs District Collector- Banswara & Ors.

Please find enclosed herewith a copy of order dated 31st January 2023, passed by Hon'ble Bench in Original Application No.101/2022(CZ) Anil & Anr. Vs District Collector- Banswara & Ors.

As per the order a Joint Committee comprising (i) Representative of District Collector, Banswara and (ii) One representative from Rajasthan Pollution Control Board, Jaipur (Raj.) have been directed to submit a report in the matter by e-mail at ngtczbbho-mp@gov.in **within four weeks.**

Apart from this, please also ensure compliance of all other directions given by the Hon'ble Bench.

Further, it is also informed that an email in this regard has already been sent to you on 01-02-2023 at 11:39pm.

Please acknowledge the receipt.

Encl.: Copy of Order dated 31st January, 2022.

National Green Tribunal

(Mukesh Kumar)
Registrar
National Green Tribunal,
Central Zonal Bench, Bhopal

कार्यालय जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)
16 FEB 2023
अनुभाग न्याय

क्षेत्रीय अधिकारी
रा.प्र.नि.म., बाँसवाड़ा

ADM (Rev.)
Pls issue orders
17/2

Scanned with OKEN Scanner